(16)

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 298] नई दिल्ली, सोमवार, फरवरी 16, 2009/माघ 27, 1930
No. 298] NEW DELHI, MONDAY, FEBRUARY 16, 2009/MAGHA 27, 1930

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 फरवरी, 2009

का.आ. 480(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम नियम, 2006 के नियम 3 के साथ पठित सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम अधिनियम, 2006 (2006 का 27) की धारा 3 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, श्री आनंद परांजपे, संसद सदस्य, लोक सभा, को राष्ट्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम बोर्ड के सदस्य के रूप में नियुक्त करती है और उक्त उद्देश्य के लिए भारत सरकार में पूर्व में लघु उद्योग मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 766(अ), तारीख 15 मई, 2007 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में, क्रम संख्या 9 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्या तथा प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :—

"9. श्री आनंद परांजपे
संसद सदस्य, लोक सभा सदस्य"

[फा. सं. 1(19)/2008-एनबी एवं एसी]

माधव लाल, अपर सचिव और विकास आयुक्त

टिप्पण : मूल अधिसूचना सं. का.आ. 766(अ), तारीख 15 मई, 2007 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में प्रकाशित की गई थी।

MINISTRY OF MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th February, 2009

S.O. 480(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 3 of the Micro, Small and Medium Enterprises Act, 2006 (27 of 2006), read with rule 3 of the National Board for Micro, Small and Medium Enterprises Rules, 2006, the Central Government hereby appoints Shri Anand Paranjpe, Member of Parliament, Lok Sabha to be member of the National Board for Micro, Small and Medium Enterprises and for the said purpose, makes the following amendment in the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Small Scale Industries number S.O. 766(E), dated the 15th May, 2007, namely :—

In the said notification, for serial number 9 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be substituted, namely :—

"9. Shri Anand Paranjpe
Member of Parliament, Lok Sabha Member"

[F. No. 1(19)/2008-NB & AC]

MADHAV LAL, Addl. Secy.
& Development Commissioner

Note: The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) *vide* number S.O. 766(E), dated the 15th May, 2007.

623 GI/2009

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.